



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक :

/2013

1. विश्वनाथ पुत्र श्री ठाकुरदास-यादव,
2. महेन्द्र पुत्र श्री जरस्थ यादव
3. जय सिंह पुत्र श्री विहारी यादव  
निवासीगण-बन्नेखुर्द, कृषक, बन्ने बुर्जुग तहसील  
पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़,
2. राजेन्द्र पुत्र धूराम यादव
3. भजनलाल पुत्र धूराम यादव
4. करन पुत्र धूराम यादव,  
निवासीगण-बन्ने बुर्जुग, तहसील पलेरा, जिला  
टीकमगढ़ (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार पलेरा, जिला टीकमगढ़, द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 53/ए3/11-12 में पारित आदेश  
दिनांक 25/09/2012 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व  
संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, ग्राम बन्ने बुर्जुग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 14 रकवा 20 हेक्टर में से सर्वे क्रमांक 14/2/1 रकवा 3.373 हेक्टर आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।
2. यह कि, अनावेदक क्रमांक 2 व 3 ने न्यायालय तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के समक्ष ग्राम बन्ने बुर्जुग तहसील पलेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 14/1/1, 14/1/1, 28/2, 248/9/1/1, 291/1, 14/1/1/2, 14/1/4/2, 248/1/1/2, 273/240 एवं 265/1 के सीमांकन एवं नक्शा त्रुटि हेतु आवेदन किया।

R 2564-II/13

3/7/13

4-50 अ.प्र.

03-07-13

3/7/13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2564/II/2013

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.11.2014	<p>यह निगरानी तहसीलदार, पलेरा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र.क. 53 ए-3 /2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.09.12 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक क-2, 3, 4 ने तहसीलदार पलेरा के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2012 प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम बन्नेबुजुर्ग स्थित भूमि कुल किता 14 कुल रकबा 3.194 हैक्टर उनके स्वत्व व स्वामित्व की है जिसके नक्शे का तरमीम करना चाहते हैं, नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 53 ए-3 /2011-12 पंजीबद्ध किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दि. 25.09.12 पारित कर वादग्रस्त भूमियों का नक्शा तरमीम करना आदेशित किया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।</p> <p>4/ प्रकरण में आये तथ्यों पर मनन करने पर विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या नक्शा तरमीम करने के अधिकार तहसीलदार को हैं अथवा नहीं ?</p>	

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 - सर्वेक्षण संख्याओं को पुनर्क्रमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति - टिप्पणी (आ) - बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त - बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोवस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगे (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियाँ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (90) देखें।

संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है -

3. बंदोवस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन अधिसूचना द्वारा आच्छादित ऐसे गाँवों का परिमाण या पुनर्मापन या नक्शों की शुद्धि कार्यान्वित करेगा जिनमें ऐसे परिमाण, पुनर्मापन या नक्शों की शुद्धि की आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एवं 68 (आ) एवं धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 25-9-12 पारित किया है जो अपील योग्य है और आवेदकगण के पास तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपील का निराकरण गुणदोष करेंगे।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

  
(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर